जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/2017/528 दिनांक 22/12/2017

प्रति

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/
अधिकारी/समन्वयक/अनु.अधिकारी/अधीक्षक,
समस्त विभाग/अध्ययनशालायें,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

विषयः– कार्यपरिषद् की बैठकों/विशेष बैठकों दिनांक 15.05.2017, 27.05.2017, 13.06.2017, 05.08.2017 एवं 21.11.2017 में लिये गये निर्णयों पर आपके विभाग/अध्ययनशाला द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा भेजने बाबत्।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठकों के कार्यविवरण पूर्व में सभा शाखा द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं। कार्यपरिषद् के निर्देशानुसार उक्त कार्यविवरणों में आपके विभाग/अध्ययनशाला से सम्बन्धित पदों/विषयों पर लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की जानकारी (पालन–प्रतिवेदन) संलग्न फार्मेट अनुसार पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अकादमी विभाग (सभा शाखा) में भिजवाने की व्यवस्था करें। जिससे आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में उक्त जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत की जा सके। पालन–प्रतिवेदन निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त न होने की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा।

आपकी सुविधा हेतु इस पत्र के साथ (फार्मेट) सूची संलग्न की जा रही है जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि, आपके विभाग द्वारा किन–किन विषयों/पदों पर कार्यवाही की जानी है।

भ व दी य

संलग्न – उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. पत्रावली हेतु।

उप–कुलसचिव(अकादमी)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

//कार्यपरिषद् की बैठकों दिनांक 15.05.2017 से 21.11.2017 तक का पालन–प्रतिवेदन//

(EC Action-Taken Report)

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक एवं निर्णय अनुक्रमांक /पद	विभाग का नाम	प्रदत्त प्रशासकीय / वित्तिय स्वीकृति का संक्षिप्त विवरण एवं स्वीकृत राशि	प्रदत्त स्वीकृति के विरुद्ध व्यय की गई राशि	लिये गए प्रशासकीय निर्णय का संक्षिप्त विवरण	संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	कार्य में यदि विलंब हुआ तो कारण स्पष्ट किया जावे	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.05.2017 की स्थगित दिनांक 15.05.2017	--	--	--	--	--	--	--
01	अकादमी	कार्यपरिषद की विशेष बैठक दिनांक 03 मार्च, 2017 तथा दिनांक 27 फरवरी, 2017 की स्थगित बैठक दिनांक 10 मार्च, 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि करने पर विचार किया गया।		विशेष बैठक दिनांक 03 मार्च, 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि की जाती है।			
	अभियांत्रिकी संस्थान	--		कार्यपरिषद की दिनांक 27 फरवरी, 2017 की स्थगित बैठक दिनांक 10 मार्च, 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की जाती है:- पद क्रमांक-01 जो कि, अभियांत्रिकी संस्थान में प्रायोगिक कार्य हेतु सॉफ्टवेयर क्रय करने संबंधी है, का पूर्ण विवरण आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।			
	गोपनीय	--		पद क्रमांक-10 जो कि, परीक्षा कार्य हेतु अनुबंध किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था (आदेश दिनांक 27.04.2017) जिसके परिपालन में प्राप्त प्रतिवेदन और अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :- 1. प्रो. आर.जे. राव, अध्यक्ष 2. प्रो. डी.डी. अग्रवाल 3. प्रो. नलिनी श्रीवास्तव 4. वित्त नियंत्रक 5. परीक्षा नियंत्रक चूंकि, विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थिति में इस कार्य को रोका जाना संभव नहीं होने के कारण आगामी छः माह के लिये अनुबंध की शर्तों के अनुरूप समयावधि में वृद्धि की जाती है तथा संबंधित ऐजेंसी द्वारा की गई अनियमितताओं एवं शिथिलता के विरुद्ध शो-कोज नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।			
02	अकादमी	स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2017 (सांय 04:30 बजे) एवं दिनांक 06 मई, 2017 (अपरान्ह 03:00 बजे) के कार्यविवरणों का अनुमोदन करने पर विचार किया गया।		स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2017 (सांय 04:30 बजे) एवं दिनांक 06 मई, 2017 (अपरान्ह 03:00 बजे) के कार्यविवरणों का अनुमोदन किया जाता है।			
	डी.सी.डी.सी. कार्यालय	--		स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06 मई, 2017 के पद क्रमांक-16 में दर्शित महाविद्यालयों की अस्थायी सम्बद्धता के प्रकरणों को स्वीकृत किया			

		प्रवेश के समय ली जाने वाली शुल्क तथा जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश के समय किये जाने वाले आरक्षण का प्रावधान करने हेतु विचार किया गया।					
11	प्रशासन/ लेखा	अध्यक्ष, श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, जीवाजी विश्वविद्यालय, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ, ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 24.04.2017 पर विचार किया गया।		विश्वविद्यालय कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षकों का चिकित्सा भत्ता रूपये 1,000/- के स्थान पर बढ़ाकर 3,000/- किया जाने की अनुशंसा की जाती है तथा उक्त प्रस्ताव समन्वय समिति की ओर प्रेषित किया जावे।			
12	प्रशासन/ विधि संस्थान	विधि संस्थान का नाम बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर संस्थान रखने एवं उनकी प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति पर विचार किया गया।		उपरोक्त प्रस्ताव एवं ऐसे समस्त प्राप्त प्रस्तावों को मध्यप्रदेश शासन की अनुमति हेतु भेजा जावे।			
13	गोपनीय	विश्वविद्यालय के प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा एवं गोपनीय कार्य हेतु निविदा/विज्ञापन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं आगामी व्यवस्था तक Learning Spiral PVT Limited, 3A Aclend Place Fifth Flore Calcutta Pin 700071 से कार्य कराने की अनुमति हेतु प्रकरण पर विचार किया गया।		उक्त प्रस्ताव में पद क्रमांक-01 पर अंकित निर्णय को यथावत मान्य किया जाता है।			
14	यंत्री	जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नवीन आवास संख्या 56 हेतु ट्रांसफार्मर्स एवं विद्युत लाईन डालने का अनुमानित व्यय रूपये 13,15,472/- की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार अनुमानित व्यय रूपये 13,15,472/- (तेरह लाख पन्द्रह हजार चार सौ बहात्तर मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
15	प्रशासन	प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, प्रा.भा.इति.सं. एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विदेश जाने की अनुमति एवं अनुमानित राशि रूपये 65,000/- की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रो. एस.के. द्विवेदी को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा यू.जी.सी. से अनुदान राशि प्राप्त होने की दशा में समिति के माध्यम से प्रस्तावित राशि स्वीकृत की जा सकेगी।			
16	गोपनीय	जीवाजी विश्वविद्यालय में परीक्षा एवं गोपनीय से संबंधित कार्य पर विचार किया गया।		उक्त प्रस्ताव में पद क्रमांक-01 पर अंकित निर्णय को यथावत मान्य किया जाता है।			
17	अकादमी	स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 09 मई, 2017 (अपरान्ह 03:00 बजे) के कार्यविवरण का अनुमोदन करने पर विचार किया गया।		स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 09 मई, 2017 (अपरान्ह 03:00 बजे) के कार्यविवरण का अनुमोदन किया जाता है।			
18	यंत्री	जीवाजी विश्वविद्यालय भवन समिति की बैठक के कार्यविवरण का अनुमोदन करने पर विचार किया गया।		जीवाजी विश्वविद्यालय भवन समिति की बैठक दिनांक 11.05.2017 के कार्यविवरण का अनुमोदन किया जाता है।			
19	प्रशासन	जीवाजी विश्वविद्यालय में सर्विस प्रोवाइडरों की संख्या निर्धारण हेतु गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।		जीवाजी विश्वविद्यालय में सर्विस प्रोवाइडरों की संख्या निर्धारण हेतु गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन को मान्य किया जाता है।			
20(अ-अ-1)	प्रशासन/ लेखा	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2010 के पद क्रमांक 11 पर लिये गये निर्णयानुसार अधिकारी/कर्मचारियों को वर्ष 2010 के द्वारा प्रदान किये जा रहे श्रमसाध्य भत्ते को		विश्वविद्यालय अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले श्रमसाध्य भत्ते की राशि में बढ़ोत्तरी संबंधी प्रस्ताव स्थगित किया जाता है तथा प्रकरण समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय/नियम के साथ प्रस्तुत किया जावे।			

		सेवापुस्तिका के अनुमोदन पर विचार किया गया।		है।				
20(अ-अ-10)	प्रशासन/ लेखा	विश्वविद्यालयीन सेवानिवृत्त शिक्षकों को विश्वविद्यालय में पुर्ननियुक्ति प्रदान करने पर विचार किया गया।		सेवानिवृत्त शिक्षकों को यू.जी.सी. की पुर्ननियुक्ति योजना एवं समन्वय समिति की 91वीं बैठक दिनांक 20.06.2016 के विषय क्रमांक 18 पर लिये गये निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों को रिक्त पदों पर रूपये 25,000/- नियत वेतन पर रखा जावे। निम्नलिखित सेवानिवृत्त शिक्षकों की पुर्ननियुक्ति रूपये 25,000/- नियत वेतन पर 03 वर्ष के लिये की जाती है :- 1. प्रो. ओ.पी. अग्रवाल प्राणिकी अध्ययनशाला 2. प्रो. डी.सी. तिवारी, भौतिकी अध्ययनशाला 3. प्रो. ए.के. जैन वनस्पति अध्ययनशाला				
20(अ-अ-11)	प्राणिकी विभाग	जीवाजी विश्वविद्यालय प्राणिकी अध्ययनशाला में "ज्ञान प्रोग्राम" (GIAN [Global Initiatives for Academic Networks]) हेतु रूपये 8,61,000/- की वित्तीय स्वीकृति की सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।		प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार सूचना ग्रहण की जाती है।				
20(अ-अ-12)	सम्बद्धता	श्री डी.पी. सिंह एवं श्री ऋषभ कुमार जैन सदस्य कार्यपरिषद् जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त पत्र जो कि, पं. श्यामाचरण उपाध्याय महाविद्यालय, मुरैना एवं कस्तूरी देवी शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना एक भवन में चलाये जाने की शिकायत के संबंध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार किया गया।		प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जानकारी उच्च शिक्षा विभाग एवं एन.सी.टी.ई. की ओर प्रेषित की जावे तथा उपरोक्त विभागों से जानकारी प्राप्त होने तक सम्बद्धता संबंधी प्रकरण स्थगित रखा जावे।				
20(अ-अ-13)	गोपनीय	प्रो. नीरज जैन, आचार्य एवं एस.डी.एम. मुरैना, श्री प्रदीप सिह तोमर से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार किया गया।		पं. श्यामाचरण उपाध्याय महाविद्यालय, मुरैना की परीक्षायें दिनांक 01.05. 2017 को उपकेन्द्र शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मुरैना में सामूहिक नकल के प्रतिवेदन के आधार पर षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त की जाती है।				
20(अ-अ-14)	विधिक / परीक्षा/ गोपनीय	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के पद क्रमांक-3 के निर्णयानुसार मनोदीप हायर ऐज्यूकेशन सोसायटी, ग्वालियर हेतु एम.एड. पाठ्यक्रम की परीक्षा संबंधी रिव्यू पिटिशन हेतु विचार किया गया।		उक्त प्रकरण में कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नवीन अधिवक्ताओं के पैनल से रिव्यू पिटिशन फाईल करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।				
27 मई, 2017	--	--	--	--	--	--	--	
01	अकादमी	स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 25 मई, 2017 के कार्यविवरण का अनुमोदन करने पर विचार किया गया।		स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 25 मई, 2017 (अपरान्ह 03:30 बजे) के कार्यविवरण का अनुमोदन किया जाता है।				
02	लेखा/ परीक्षा / गोपनीय	विश्वविद्यालय परीक्षा एवं गोपनीय कार्य हेतु नियुक्त कोलकाता ऐजेंसी के संबंध में चर्चा की गई।		एल.एस.पी.एल. कोलकाता फर्म जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं गोपनीय कार्यों का सम्पादन कर रही है, उसे आगामी व्यवस्था होने तक जारी रखा जावे तथा फर्म से परीक्षा/गोपनीय कार्य से संबंधित समस्त दस्तावेज/डाटा विश्वविद्यालय को अविलम्ब स्थानांतरित/प्राप्त किये जावें चूँकि, उक्त फर्म की कार्य अवधि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.05. 2017 के निर्णयानुसार दिनांक 30.				

		लिफाफे खोले जाने पर विचार किया गया।		4(सी) के अंतर्गत दिनांक 08.02.2017 को 11 सहा. प्राध्यापक(संविदा) हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिनमें पदों की संख्या निम्न थी :– सामान्य – 06 (महिला हेतु 02 पद आरक्षित) अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग कुल 67 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया। छानवीन समिति द्वारा कुल 40 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु योग्य पाया गया। अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत कोई भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 04.06.2017 को विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। चयन समिति द्वारा चयनित शिक्षकों का बंद लिफाफा खोला जाने पर सहमति बनी तत्पश्चात् लिफाफा खोला गया। जिसमें निम्नानुसार शिक्षकों को विश्वविद्यालय अध्यादेश 4(सी) के अंतर्गत चयन समिति की अनुशंसानुसार नियुक्त किये जाने हेतु मान्य किया जाता है :– उपरोक्त संविदा नियुक्तियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की डब्ल्यू.पी. – 2912–2017 के आदेश से कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया।			
02(अ–अ–1)	कुलपति सचिवालय	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के नवीन कुलपति के चयन हेतु राजभवन से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ–1–4/2017 /रास/यू.ए.1/679 दिनांक 29.05.2017 पर विचार किया गया।		जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के नवीन कुलपति के चयन हेतु कार्यपरिषद् द्वारा प्रो. स्वतंत्र शर्मा, पूर्व कुलपति, महाराजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया जाता है।			
05.08.2017	---	---	---	---	---	---	---
01	अकादमी	कार्यपरिषद् की दिनांक 12 मई, 2017 की स्थगित बैठक दिनांक 15 मई, 2017 तथा विशेष बैठक दिनांक 27 मई, 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि करने पर विचार किया गया।		कार्यपरिषद् की विशेष बैठक दिनांक 27 मई, 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि की जाती है।			
	गेपनीय/स्टोर			कार्यपरिषद की दिनांक 12 मई, 2017 की स्थगित बैठक दिनांक 15 मई, 2017 की पुष्टि निम्नलिखित के साथ की जाती है :– पद क्रमांक–01 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा यह पाया गया कि, आई.टी.आई. बैंगलौर द्वारा परीक्षा कार्य कराने हेतु राशि लगभग तीन करोड रूपये से अधिक होने के कारण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि, इस कार्य को निविदा के आधार पर आबंटन करना उपयुक्त होगा। तद्नुसार कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं निविदा प्रक्रियारत होने के कारण की गई कार्यवाही का अनुमोदन 31 जुलाई, 2017 के कार्यपरिषद् की कार्यसूची क्रमांक 08 पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है। तकनीकि समिति के आंकलन के उपरांत चयनित फर्मो का पूर्व में गठित समिति द्वारा ऐसेसमेंट किये जाने के उपरांत ही उनके फायनेन्सिल बिड खोले जावें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि, पूर्ववर्ती ऐजेंसी की कार्य अवधि समाप्त होने के पूर्व जारी की गई निविदा शर्तो के अनुरूप चयनित फर्म से अनुबंध निष्पादित कर लिया जावे।			
	स्थकास /लेखा			पद क्रमांक–15 जो कि, प्रो. एस.के. द्विवेदी के विदेश यात्रा सम्बन्धि है पर			

		एलाइड वर्क्स, मथुरा से ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिका मान्य दरों पर क्रय करने पर विचार किया गया।		की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
11	सम्बद्धता	स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 16 जून, 2017 (सांय 05:00 बजे) एवं दिनांक 29 जून, 2017 तथा 21 जुलाई, 2017 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) के कार्यविवरण का अनुमोदन करने पर विचार किया गया।		स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 16 जून, 2017 (सांय 05:00 बजे) एवं दिनांक 29 जून, 2017 के कार्यविवरण का अनुमोदन किया जाता है साथ ही स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2017 के कार्यविवरणों का अनुमोदन निम्नलिखित संशोधन के साथ किया जाता है :- पद क्रमांक-02 जो कि, अमर ज्योति स्कूल ऑफ रिहाब सेंटर को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी है, में आर.सी.आई. नॉर्म्स को दृष्टिगत रखते हुये पुनः समिति निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन स्थायी समिति के माध्यम से प्रस्तुत करे। ऐसे समस्त महाविद्यालय जिनके द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रयोगशालाओं के फोटो प्रस्तुत किये हैं तथा प्राप्त फोटो के आधार पर सीट संख्या में वृद्धि की गई है को पुनः स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।			
12	प्रशासन /लेखा	श्री सोनपाल सिंह, कार्यालय सहायक की माता जी के कैंसर में हुये व्यय रूपये 4,00,000/- की चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर विचार किया गया।		उपरोक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश, शासन के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।			
13	प्रशासन/ लेखा	श्री राकेश कुमार सिंह राठौर, कार्यालय सहायक की पुत्री की बीमारी टी.बी. में हुये व्यय रूपये 2,28,639/- की चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर विचार किया गया।		उपरोक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश, शासन के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।			
14	स्टोर	मैसर्स सोनल ट्रेडर्स, ग्वालियर से मान्य दरों पर छात्रों को डिग्री भेजने हेतु डिग्री कन्टेनर क्रय किये गये है के भुगतान पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार रू. 4,99,800/- टैक्स सहित के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
15	विकास	वनस्पतिकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत शिक्षक प्रो. के.के. कौल के पत्रानुसार माननीय कुलपति महोदया द्वारा कमेटी का गठन किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
16	यंत्री / वनस्पति अ. शा.	वानस्पतिकी अध्ययनशाला में रिनोवेशन एवं मरम्मत का कार्य करवाया जाना है, विभाग में यह कार्य पिछले तीस सालों से नही हुआ है। इसी क्रम में क्लास रुम, लैब, टॉयलेट एवं लैबोरेट्री इत्यादि को ठीक करवाया जाना है। उपरोक्तानुसार ग्रेनाइट, बेसिन टाईल्स इत्यादि लगावाया जाना है। विश्वविद्यालय यंत्री के ऑकलन अनुसार उपरोक्त कार्य में 10,16,303/- (दस लाख सोलह हजार तीन सौ तीन रूपये) व्यय होने की संभावना है। जिसे विश्वविद्यालय बजट के नोन प्लान मद से व्यय किया जावेगा। उपरोक्त प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही विश्वविद्यालय यंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एस्टीमेट/प्रांक्कलन को लोक निर्माण विभाग के ए.ओ.आर. अनुसार बनाये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			

		की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने विचार किया गया।					
26	शारीरिक शिक्षा अ.शा.	शारीरिक शिक्षा विभाग में सत्र 2017-18 में अखिल भारतीय, अखिल भारतीय अर्न्तक्षेत्रीय, पश्चिम क्षेत्रीय, जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के दलों के खेलने जाने से पूर्व दलों पर होने वाले यात्रा व्यय, गणवेश राशि आदि के भुगतान हेतु रूपये 5,00,000/- (पॉच लाख) के अग्रिम धन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
27	शारीरिक शिक्षा अ.शा.	विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों की प्राईज मनी रूपये 500/- के स्थान पर रूपये 1,000/- करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं खिलाड़ियों को रूपये 500/- प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क के रूप में मिलने वाली छूट को बंद करने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्राईज मनी 1,000/- रूपये एवं प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 500/- बंद किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
28	शारीरिक शिक्षा अ.शा.	खेल प्रमाण पत्रों को लिखने एवं जॉच करने के लिये रूपये 20/- प्रति प्रमाण पत्र की दर स्वीकृत करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
29	अभियांत्रिकी अ.शा.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक्स एवं केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर तथा मास्टर्स डिग्री सम्बन्धी कोर्स संचालित किये जा रहे है।		प्रस्ताव अनुसार रू. 21,65,900 + टैक्सेज की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
30	केन्द्रीय ग्रंथालय	केन्द्रीय ग्रंथालय में रू. 28,000,00/- (अट्ठाईस लाख) की पुस्तकें/पत्रिकायें क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में केवल प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
31	वनस्पति अ. शा.	वनस्पति विज्ञान विभाग में FIST प्रोग्राम के अंतर्गत रू. 75.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.05.2017 के पद क्रमांक (अ-अ-1) पर दी गयी थी, विभाग द्वारा ई निविदा के आधार टैडर मंगाए गये थे, उक्त टेंडर वर्तमान में क्रय की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु केन्द्रीय तकनीकी एवं क्रय समिति के समक्ष लंबित है। दिनांक 12.05.2017 को FIST - DST प्रोग्राम की मध्यावधि समीक्षा जो की दिल्ली DST आफिसव में हुई थी के दौरान विभागाध्यक्ष को उक्त क्रय प्रक्रिया अगस्त माह तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित		आवश्यकतानुसार LC/INR में भुगतान हेतु रूपये 75.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			

		2,59,000/- की धनराशि शिक्षक प्रशिक्षण दिनांक 18.07.2017 से 23.07.2017 (छः दिवसीय) के व्यय की स्वीकृति हेतु प्रमाण प्रस्तुत है।					
35	प्रशासन	श्री राजेन्द्र चौहान, सहायक प्राध्यापक (संविदा) फार्मेसी अध्ययनशाला के कार्यकाल में दिनांक 13 मई 2017 से 30 जून 2017 तक की वृद्धि किये जाने पर विचार किया गया।		श्री राजेन्द्र चौहान, सहायक प्राध्यापक (संविदा) फार्मेसी अध्ययनशाला के कार्यकाल में दिनांक 13 मई 2017 से 30 जून 2017 तक की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
36	हेल्थ सेंटर	जीवाजी विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर (पंचकर्म सेंटर) हेतु उपकरण क्रय किये जाने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
37	विकास	जीवाजी विश्वविद्यालय में कौशल विकास पाठ्यक्रम (Skill Development Courses) चालू करने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
38	सी.आई.एफ विभाग	सी.आई.एफ. भवन में फर्नीशिंग कराये जाने पर रूपये 20 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
39	लेखा / प्रशासन	नियमित कर्मचारियों के साथ पूर्व की भाँति 89 दिवसीय कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ (मूल वेतन) कार्यपरिषद् से स्वीकृत किये जाने पर विचार किया गया।		प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।			
40(अ-अ-1)	विकास /लेखा	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ऐकेडमिक बिल्डिंग के लिये रूसा से अनुदान प्राप्त हुआ है, के संबंध में चर्चाकर विचार किया गया।		शासन के निर्देशानुसार रूसा से प्राप्त राशि से निर्माण कार्य पी.आई.यू. के माध्यम से कराया जावे तथा राशि 7.5 करोड़ का भुगतान तीन किश्तों में किया जावे, जिसकी प्रथम किश्त राशि 2.5 करोड़ का भुगतान किया जावे एवं शेष राशि का भुगतान प्रगति के आधार पर दो किश्तों में किया जावे।			
40(अ-अ-2)	सम्बद्धता	जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी की प्रबंध समिति में एक प्रतिनिधि को नामित किये जाने पर विचार किया गया।		जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी की प्रबंध समिति में संलग्न परिशिष्टानुसार एक प्रतिनिधि को नामित किया जाने हेतु मान्य किया जाता है।			
40(अ-अ-3)	गोपनीय/ अकादमी	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में पंजीकृत श्री एस.एस. भण्डारी की पीएच.डी संबंधी प्रकरण पर चर्चाकर विचार किया गया।		उपरोक्तानुसार प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।			
40(अ-अ-4)	विधिक विभाग	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबंधी विशेष लीगल प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति किये जाने पर विचार किया गया।		जीवाजी विश्वविद्यालय संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय हेतु विशेष विधिक प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।			
40(अ-अ-5)	लेखा /प्रशासन	विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अनुसार 90 प्रतिशत पेंशन सेवानिवृत्ति की दिनांक से भुगतान किये जाने पर चर्चाकर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अनुसार 90 प्रतिशत पेंशन सेवानिवृत्ति की दिनांक से भुगतान किया जावे तथा इससे संबंधित संपूर्ण कार्यवाही छः माह पूर्व पूर्ण कर ली जावे।			

				को चिन्हित नहीं किया गया एवं संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा निविदाकार द्वारा की गई अपकृतियों एवं त्रुटियों के लिये दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र एवं उनके प्राप्त उत्तरों पर भी विचार नही किया गया है। अतः गठित समिति में प्रो. आर.जे. राव के नाम के स्थान पर प्रो. ए.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति द्वारा समग्र रूप से विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर यह चिन्हित किया जावे कि, किस स्तर पर व्यक्तियों द्वारा अनियमिततायें बरती गयी है, तत्पश्चात् प्रतिवेदन परीक्षण उपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय से कार्यपरिषद् को सूचित किया जायेगा।			
03	गोपनीय / लेखा	जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम कार्य के लिये अधिकृत फर्म एल.एस.पी.एल. द्वारा प्रस्तुत देयकों राशि 81,56,721/- की वित्तीय स्वीकृति तथा रूपये 57,46,313/- के भुगतान पर विचार किया गया।		कार्यपरिषद् को यह अवगत कराया गया कि, परीक्षा परिणाम कार्य करने वाली ऐजेंसी/फर्म का राशि 57,46,313/- रूपये का भुगतान वर्तमान में लंबित है। उक्त राशि के विरूद्ध रूपये 05 लाख का भुगतान प्रशासनिक अधिकारों के अंतर्गत अग्रिम रूप से ऐजेंसी/फर्म को किया जा चुका है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि, ऐजेंसी द्वारा अभी तक लगभग राशि रूपये 20 लाख का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसका देयक विश्वविद्यालय को प्रस्तुत नही किया गया है। यदि उक्त लंबित राशि का भुगतान ऐजेंसी/फर्म को नही किया जाता है तो परीक्षा संबंधी गंभीर संकट उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है एवं छात्रों के हित तथा परीक्षाफल गंभीर रूप से प्रभावित होगें। अतः कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के उपरांत उक्त अनुसार राशि 57,46,313/- रूपये के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
04	गोपनीय /स्टोर	प्री-एण्ड पोस्ट परीक्षा कार्य के संबंध में केन्द्रीय तकनीकी समिति/क्रय समिति की बैठक दिनांक 09.11.2017 में की गई अनुशंसा कार्यपरिषद के समक्ष विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार क्रय समिति द्वारा स्पष्ट अनुशंसा के अभाव में प्रकरण में निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया जाकर कार्यपरिषद को सकारण सूचित किया जावे।			
05	लेखा	वित्त समिति की बैठक दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने पर विचार किया गया।		प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।			
06	गोपनीय/ परीक्षा /लेखा	परीक्षा शुल्क निर्धारण की स्वीकृति पर विचार किया गया।		प्रकरण में सत्र 2017-18 से संलग्न परिशिष्टानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
07	स्टोर / लेखा	मै. के.सी. प्रिंटिंग एण्ड एलाइड वर्क्स, मथुरा से क्रय की गई ओ.एम.आर. उत्तरुपस्तिका के भुगतान की राशि रू. 79,96,800/- की सूचना पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार मैसर्स, के.सी. प्रिंटिंग एण्ड एलाइड वर्क्स, मथुरा से प्राप्त बिल रूपये 79,96,800/- जी.एस.टी. टैक्स सहित का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
08	यंत्री / लेखा	कार्यालय संभागीय, परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, डी.डी. नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 2330/बजट/पीआईयू/2017 दिनांक 26.10.2017 जो कि, रूपये 470.70 लाख के भुगतान के संबंध में है, पर विचार किया		प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।			

				में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। दोषी पाये जाने की स्थिति में प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही कर कार्यपरिषद को सूचित किया जावे। उपरोक्त सभी प्रकरणों में प्राप्त निष्कर्षों को राज्य शासन की ओर त्वरित प्रेषित कर कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।		
10(अ-अ-4)		कार्यपरिषद् सदस्य, श्रीमती सुनीता बराहदिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा कर विचार किया गया।		----		
01	गोपनीय	परीक्षाओं व परीक्षा परिणामों की अव्यवस्थाओं को लेकर आये दिन अखबारों में लगातार खबरें प्रकाशित होती हैं इस प्रक्रिया में सुधार करने हेतु सैल प्रभारी (Valuation) का चयन कमेटी के माध्यम से किया जावे। इस कमेटी में कम से कम दो सीनियर प्रोफेसर विश्वविद्यालय के ही हों ताकि, परीक्षायें सही समय पर सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिससे विश्वविद्यालय की छवि में सुधार किया जा सके।		विभिन्न पाठ्यक्रमों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन योग्य शिक्षकों द्वारा कराये जाने तथा परीक्षा नियंत्रक, संकायाध्यक्ष/विषय के अध्यक्ष से परामर्श कर शिक्षकों का एक पैनल तैयार कर कुलपति जी से अनुमोदन कराया जावे। परीक्षा नियंत्रक अध्यादेश का पूर्णतः से पालन करते हुये समय-समय पर परीक्षायें आयोजित कर एवं समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कराने हेतु निगरानी भी की जावे। साथ ही प्रस्ताव अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अर्हताधारी शिक्षकों से ही संपादित कराया जावे।		
02	प्रशासन / लेखा	डॉ. राजेन्द्र सिंह, निदेशक, क्रीड़ा विभाग के विगत चार वर्षों की वित्त संबंधी समस्त पत्रावलियाँ जाँच उपरांत कार्यपरिषद में प्रस्तुत की जावें तथा पत्रावलियों की जांच एक समिति के माध्यम से कराई जावे। जाँच के बिन्दुओं में यह भी सम्मिलित किया जावे कि, डॉ. राजेन्द्र सिंह द्वारा एडवांस (अग्रिम) किन-किन व्यक्तियों के नाम से लिया गया है तथा किन-किन कोचों के नाम अंकित किये गये है, वे टीम लेकर गये अथवा नहीं ? कोच/मैनेजर से टीम लेकर जाने हेतु सहमति प्राप्त की गई या नही ? इस संबंध में भी जॉच कर सत्यापन किया जावे तथा छात्रों को इस हेतु प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान हुआ अथवा नहीं ? विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदन एक माह के भीतर निर्धारित समय-सीमा में में कार्यपरिषद् को प्रस्तुत किया जावे।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में समिति के गठन एवं समिति में एक सदस्य ऑडिट से रखे जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।		
10(अ-अ-5)	परीक्षा / गोपनीय	स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 13.11.2017 के कार्यविवरणों में पद क्रमांक-01 जो कि, सुश्री सपना ग्वाल एम.एस.-सी., रसायनशास्त्र अनुक्रमांक 955075 सत्र 2009-11 विषयक प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में है, के अनुमोदन पर विचार किया गया।		स्थायी समिति द्वारा अपनी विशेष बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के कार्यविवरण में पद क्रमांक-01 पर की गई अनुशंसाओं को मान्य किया जाता है।		
10(अ-अ-6)	प्रशासन / लेखा	जीवाजी विश्वविद्यालय मे कार्यरत 89 दिवसीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु चर्चाकर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।		